

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1-9-2015-सात-शा-6-1025.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से झाबुआ जिले की तहसील झाबुआ की सीमाएं उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल रामा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 55 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और झाबुआ तहसील के राजस्व निरीक्षक वृत्त रामा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 55 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील रामा का सृजन करती है, जिसमें 55 पटवारी हल्के और 125 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय रामा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1-9-2015-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9-2015-सात-शा-6, दिनांक 22 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे, उपसचिव.

ORDER

Bhopal the 22nd September 2017

No. F-1-9-2015-VII-6-1025.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, alter the limits of Tehsil Jhabua of District Jhabua from the date of Publication of this order in the Official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 55 of Revenue circle Rama and creates a new Tehsil Rama by comprising of Patwari Halka No. 01 to 55 of Revenue Circle Rama, which shall be comprised of 55 Patwari Halka and 125 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Rama.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

BHARTI OGREY, Dy. Secy.